Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	23-02-2023
Edition (H/E)	Hindi
Page No.	11

तव को अमेरिका की
चुना है। समृद्धि को

खरीदी गई जमीन को 40 साल में अपने नाम नहीं करा सका चलचित्र निगम

राब्यू, लखनऊ : उप्र चलचित्र निगम लिमिटेड मीरजापुर में खरीदी गई जमीन को 40 साल में भी अभिलेखों में अपने नाम नहीं दर्ज करा सका। इससे वह जमीन को बेच भी नहीं पाया। यह तथ्य बुधवार को विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुआ है। चलचित्र निगम ने वर्ष 1979 में 4038 वर्ग मीटर भूमि मीरजापुर के नारायणपुर क्षेत्र में खरीदी थी। हालांकि कंपनी अभिलेखों में भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम पर कराने में विफल रही। वर्ष 1995 में कंपनी द्वारा भूमि को बेचने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए लेकिन अभिलेखों में कंपनी का नाम अंकित न होने कारण वह जमीन को बेच नहीं सकी। प्रबंधन ने सीएजी को अपने उत्तर में कहा कि निगम ने मीरजापुर के जिलाधिकारी को निगम के नाम पर भूमि का दाखिल खारिज करने के लिए वर्ष 1997 में आवेदन किया था लेकिन यह समय लेने वाली प्रक्रिया है। सीएजी ने इस उत्तर को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि भूमि खरीदने के 40 वर्ष से भी अधिक समय बीतने के बाद भी कंपनी भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम पर नहीं करा सकी।

Name of the Newspaper	हिन्दुस्तान
Date	23-02-2023
Edition (H/E)	Hindi
Page No.	11

हिन्दुस्तान www.livehindustan.com

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की विधानसभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में खुलासा

सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन में लापरवाही, अरबों की लगी चोट

सीएजी रिपोर्ट

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश में 29 सार्वजनकि उपक्रमों का संचालन 31 साल से बंद है। इन सार्वजनिक उपक्रमों के पास अचल सम्पत्ति, देनदारी और ऋण व अग्रिम क्रमशः 12.09 करोड़, 24.05 करोड़ और 32.26 करोड़ रुपये थी।

रिपोर्ट के अनुसार 50.04 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के सापेक्ष स्टेट यार्न कम्पनी को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 34.67 करोड़ के ऋण को बट्टे खाते में न डालने तथा 16.18 करोड़ का नकद भुगतान न करने के कारण कंपनी की 31 मार्च 2021 तक ऋण के प्रति देनदारी और उस पर ब्याज के कारण यह बकायेदारी 46.71 करोड़ रुपये कर दी गई। अन्य देनदारियां भी 21.07 करोड़ रुपये हो गई हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की अनधिकृत छूट दी: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए पेश की गई रिपोर्ट में परिवहन विभाग की कई कमियों की तरफ इशारा किया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की अनधिकृत छूट दिए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है।

बांदा में बाईपास तो बना नहीं मिट्टी में फेंक दिए 42 करोड़ रुपये: लोक निर्माण विभाग ने बांदा बाईपास सड़क का निर्माण नौ साल बीत जाने के बाद भी भूमि की उपलब्धता न होने से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। बाईपास पर हुए मिट्टी के कार्य की सुरक्षित नहीं किया जा सके। सीएजी ने रिपोर्ट में इस लापरवाही का खुलासा करते हुए लिखा है कि पीडब्ल्यूडी ने 41.89 करोड़ रुपये व्यर्थ ही खर्च कर दिया।

उत्पादन निगम का 82.50 करोड़ जब्त

राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा दक्षता मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण कोयला मंत्रालय द्वारा प्रतिभूति (सिक्योरिटी) 82.50 करोड़ जब्त किया गया। सीएजी ने रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। उत्पादन निगम ने सहारपुर जमारपानी कोयला खदान दुमका झारखंड के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय के साथ आवंटन अनुबंध मार्च 2015 में किया। आडिट में पाया गया कि उत्पादन निगम को तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए। जिसके बाद एमओसी की समिति ने 82.50 करोड़ रुपये सिक्योरिटी जब्त करने की संस्तुति जुलाई 2018 में की और इस धनराशि को विनियोजित भी कर लिया।

साढ़े चार साल किराया वसूला पर नहीं किया जमा

राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन भवन के हॉल को सालों तक किराए पर उठाया गया। उसके एवज में निगम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपये का किराया भी वसूला मगर उसे राज्य कोषागार में जमा नहीं किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है।

20.13 करोड़ का भुगतान और योजना बंद

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (वर्तमान में यूपीसीडा) ने बाधा मुक्त जमीन और उचित मांग के निर्धारण के अभाव में इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप व बहुमंजिला आवासीय परिसर की वास्तु सेवाओं के लिए 20.13 करोड़ खर्च कर दिए और भवन बनाने की योजना स्थगित कर दी। इस तरह यह रकम व्यर्थ खर्च हो गई।

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	23-02-2023
Edition (H/E)	Hindi
Page No.	05

विद्युत उत्पादन निगम : लापरवाही में करोड़ों का नुकसान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को गलत नीतियों व लापरवाही की वजह से करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। कार्य में लगी कंपनियों ने ढिलाई बरती तो वसूली में भी लापरवाही हुई। इसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) की ओवरहॉलिंग के लिए वर्ष 2018-19 में 502.95 करोड़, वर्ष 2019-20 में 472.64 करोड़ और वर्ष 2020-21 में 472.64 करोड़ रुपये था। समयसारणी की अपेक्षा ओवरहॉलिंग के दौरान दो से पांच वर्ष की देरी की गई। इसकी वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ। चार टीपीपी में निर्धारित समय पर काम नहीं होने से 39.22 करोड़ का नुकसान हुआ।

इसी तरह समय पर परीक्षण नहीं करने से जनरेटर ट्रांसफार्मर की स्थापना पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को करीब 7.82 करोड़ का नुकसान हुआ। हरदुआ टीपीपी के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर लगाने में 11 दिन की देरी होने की वजह से 2.47 करोड़ का नुकसान हुआ है।

इसी तरह दक्षता मानदंडों का पालन नहीं करने की वजह से 82.50 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में उपभोक्ताओं को गलत टैरिफ देने की वजह से 1.62 करोड़ की कम बिलिंग हुई। पश्चिमांचल में 2.77 करोड़ और मध्यांचल में 1.17 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

परीक्षण में गायब मिले दस्तावेज

परीक्षण के दौरान कई कंपनियों के दस्तावेज नहीं मिले। वहीं, कुछ के दस्तावेज दीमक खा गए थे। आगरा परिक्षेत्र में इस तरह की शिकायतें ज्यादा मिली हैं।

यूपीनेडा में 1.95 लाख रुपये का गैरजरूरी भुगतान

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास विकास अभिकरण (यूपीनेडा) ने आयकर के रूप में 1.95 लाख रुपये गैरजरूरी भुगतान किया। मामले में सरकार और प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है।

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक (राजाजीपुरम)
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्प्लेक्स, पंचम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

"सर्वसाधारण को सार्वजनिक सूचना"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या सी–1447 मदन मोहन शर्मा पुत्र स्व0 पं0 सन्तराम के पक्ष में प्रदेशन पत्र संख्या 11765 दिनांक 17.09.1982 द्वारा किस्त क्रय पद्धति पर आवंटित है तथा जिसकी फ्री होल्ड डील दिनांक 10.09.1996 को निष्पादित है। श्री रवीन्द्रनाथ सारस्वत पुत्र स्व0 एम0एम0 शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2022 द्वारा सूचित किया है कि श्री मदन मोहन शर्मा पुत्र स्व0 सन्तराम शर्मा की मृत्यु दिनांक 10.12.2002 को एवं श्रीमती कृपा देवी पत्नी श्री

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	23-02-2023
Edition (H/E)	Hindi
Page No.	05

अमर उजाला | राजधानी | amarujala.com

यूपीएसआईडीसी ने प्रदर्शनी व कार्यालय भवन बनाने में बर्बाद किए 27.15 करोड़

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यूपीएसआईडीसी ने राजधानी के अमौसी इलाके में औद्योगिक भू-उपयोग वाले भूखंड पर प्रदर्शनी व कार्यालय भवन बनाने में 27.15 करोड़ रुपये बर्बाद कर दिए। सीएजी (कैग) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अधिकारियों ने भू-उपयोग बदले बिना निर्माण कार्य कराया। दो मंजिल बेसमेंट और पहली व दूसरी मंजिल का 50 प्रतिशत निर्माण कार्य होने के बाद इसे रोकना पड़ा। भुगतान नहीं मिलने पर ठेकेदार ने शिकायत की थी। सीएजी ने जांच में पाया कि भू-उपयोग में परिवर्तन के नियम की अनदेखी कर कार्यालय का निर्माण कराया गया। इस अनधिकृत निर्माण में 47.15 करोड़ व्यय किए गए। पांच वर्ष बीतने के बाद इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस मामले में तत्कालीन मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सीएजी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच की संस्तुति की है।

सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, भू-उपयोग बदले बिना कराया गया निर्माण कार्य

वास्तुशिल्प सेवाओं में फालतू खर्च हुए 20 करोड़ रुपये

गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी के लिए यूपीएसआईडीसी ने इंटीग्रेटेड मिनी-टाउनशिप और बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए वास्तुशिल्प सेवाओं पर 20.13 करोड़ फालतू खर्च कर दिए। सीएजी की जांच में सामने आया कि जून, 2015 में टाउनशिप की डिजाइन बनाने के लिए वास्तुशिल्प फर्म को 3.92 करोड़ का भुगतान किया गया। लेकिन अचानक बिना कारण के इसे रोक दिया गया। इसी तरह बहुमंजिला आवासीय परिसर के निर्माण के लिए वास्तुशिल्प फर्म को 16.21 करोड़ का भुगतान किया गया। सीएजी ने पाया कि दिसंबर, 2021 तक परिसर का निर्माण शुरू नहीं हुआ क्योंकि टाउनशिप के लिए भूमि का अधिग्रहण तो किया गया, लेकिन अधिकारी किसानों से कब्जा नहीं ले सके।

बांदा बाईपास के निर्माण पर गलत ढंग से खर्च कर दिए 41.99 करोड़ रुपये

लखनऊ। लोक निर्माण विभाग ने बिना जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बांदा बाईपास का निर्माण शुरू कर दिया। इससे मार्ग का काम पूरा नहीं हो पाया और गलत ढंग से 41.99 करोड़ रुपये खर्च किए। इसका खुलासा बुधवार को विधानसभा में पटल पर रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने बांदा बाईपास सड़क पर 41.99 करोड़ रुपये का अनावश्यक व्यय किया। इस काम को मंजूरी 2011 में मिली थी। निर्धारित समापन अवधि से नौ वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद बावजूद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई। मिट्टी के कार्य को सुरक्षित न करने के कारण पूरे मार्ग का निर्माण संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ने मुरादाबाद में बिजली संरचनाओं को हटाने के लिए पश्चिमांचल

सीएजी की जांच में अधिकांश जमीन लिए बगैर काम शुरू कराने का खुलासा

विद्युत वितरण निगम लि. को 4.45 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किया। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी ने अलीगढ़-रामघाट रोड से गांवखेड़ा गोधा सीटीके रोड की लेन का गलत मूल्यांकन करके कंक्रीट की अनावश्यक रूप से अधिक मोटी परतें बिछाईं। इस तरह 2.02 करोड़ रुपये का गैरजरूरी व्यय किया गया। सेंट्रल रोड फंड के तहत इस काम के लिए 29.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। वहीं, राज्य राजमार्ग-72 (राम-जानकी सड़क) के निर्माण में पानी के टैंकर व पानी की लागत की उच्च दर और अतिरिक्त ओवरहेड शुल्क आरोपित किया। इसके कारण ठेकेदार को 3.20 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया। ब्यूरो